105

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी निग- 3188-I/16

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चावड़ा
द्वारा आज दि. 19/9/16 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-9-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दीपक कुमार पुत्र श्री चिरौजीलाल गुप्ता, निवासी- लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

शकुन्तला देवी पत्नी श्री देवकीनंदन रिछारिया, निवासी- लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म0प्र0)

-- अनावेदक

ब्रजेन्द्र सिंह चावड़ा
19/9/16

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 16.08.2016 पारित न्यायालय तहसीलदार, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 14/अ-3/2014-15

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यहकि, आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूमि सर्वे नम्बर 1744/2 रकवा 0.121 हैक्टेयर भूमि स्थित ग्राम लवकुशनगर, जिला छतरपुर में आवेदक के नाम भू-अभिलेख में दर्ज स्वामित्व प्रविष्टी के आधार पर अपने स्वामित्व के भाग की तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3188–एक/2016 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
14-09-17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 14/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2016 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक अधिवक्ता ने अपने मौखिक एवं लिखित तर्क में अवगत कराया कि भूमि सर्वे क्रमांक 1744/2 रकवा 0.121 हैक्टेयर स्थित ग्राम लवकुशनगर, जिला छतरपुर में आवेदक के नाम भू–अभिलेख में दर्ज स्वामित्व की प्रविष्टी के आधार पर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के भाग की तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार लवकुशनगर, जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा विधिवत जाँच करायी गयी। जाँच उपरान्त प्रकरण से संबधित वरिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर आवेदक का तरमीम आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की याचिका क्रमांक 9342/2016 में	

पास्ति आदेश दिनांक 28.11.2016 के द्वारा माननीय न्यायालय को निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है तथा साथ यह भी निवेदन किया गया कि न्यायालय तहसीलदार लवकुशनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2016 को निरस्त करने, के साथ ही आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भू–भाग पर राजस्व अभिलेखों में तरमीम किये जाने किये जाने का भी अनुरोध किया।

3– आवेदक के अधिवक्ता तर्क सुने, तथा प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार लवकुशनगर द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1744/2 रकवा 0.121 हैक्टेयर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की याचिका क्रमांक 9342/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2016 का अवलोकन किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को निराकरण हेतु निर्देशित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवकुशनगर के रिकॉर्ड एवं राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी जाँच प्रतिवेदन से पाया गया कि तहसीलदार लवकुशनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2016 को निरस्त करते हुए, तहसीलदार लवकुशनगर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार लवकुशनगर के प्रकरण में संलग्न राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की जाँच रिपोर्ट के अनुसार तरमीम की जावें।

सदस्य